

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 फरवरी 2022—माघ 14, शक 1943

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2022

क्र. एफ 1-4-2021-एक-(1).—भारत के संविधान से अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-2 में, अनुक्रमांक बासठ और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“बासठ—घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति”

2. अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक “बासठ—विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“बासठ—घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2022

क्र. एफ 1-4-2021-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-4-2021-एक (1), दिनांक 3 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd February 2022

No. F. 1-4-2021-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. in rule 2, for serial number LXII and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely:—

“LXII. Nomadic and Semi-Nomadic Tribe”.

2. in the Schedule, for the existing heading “LXII. DENOTIFIED, NOMADIC AND SEMI-NOMADIC TRIBE WELFARE DEPARTMENT”, the following heading shall be substituted, namely:—

“LXII. NOMADIC AND SEMI-NOMADIC TRIBE DEPARTMENT”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
GIRISH SHARMA, Dy. Secy.